



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं.407 के लिए संशोधन सहित नवीकरण/
Renewal cum Amendment of Type Approval No.407**

मद/**FOR ITEM:** लैंप फिटिंग्स आई-एसएलटीएसएन और आई-एसएलटीएस 51 (लाल और हरा)

Lamp Fittings I-SLTSN and I-SLTS 51 (Red&Green)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंटग्रल सिस्टम एण्ड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु - 560 058 द्वारा विकसित तथा उत्पादित, "लैंप फिटिंग्स पार्ट संख्याएं. आई-एसएलटीएसएन और आई-एसएलटीएस 51 (लाल और हरा)" को पत्र सं.एरो (आरडी-175)/140/59, दिनांक 22 फरवरी 1983 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.407 जारी किया गया था तदुपरांत 30 जून 2011 तक नवीकरण किया एवं वैध था।

This is to state that the "Lamp Fittings bearing the part Nos. I-SLTSN and I-SLTS 51 (Red & Green)" developed and manufactured by M/s. Integral Systems and Components Pvt. Ltd., Bengaluru-560 058, has been issued with Type Approval No.407 vide letter No. AERO (RD-175)/140/59, dated: 22nd Feb 1983 and subsequently renewed and was valid up to 30th June 2011.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं.407 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।


The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 407.

For	Read as
<i>M/s. Integral Systems and Components Pvt. Ltd., 45/7A, Gubbanna Industrial Estate, 6th Block, Rajajinagar, Bengaluru-560 010.</i>	<i>M/s. Integral Systems and Components Pvt. Ltd., D-388/1, I Cross, I Stage, Peenya Industrial Estate, Bengaluru-560 058.</i>

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01/12/2012 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा जब तक स्थगित, रद्द अथवा निरस्त न हो, यह 31 दिसंबर 2017 तक वैध रहेगा। विक्रेता को इस इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसके कारण आदि को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए(नासिक), द्वारा एच ए एल नासिक प्रभाग, ओझार टाउनशिप, नासिक-422 207, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र की अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this type approval is hereby renewed W.e.f: 01/12/2012, based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2017, unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nashik), C/o HAL Nasik Division, Ojhar Township, Nasik-422 207, three months before the expiry of type approval, with all relevant document including performance feedback, Quantity produced & rejections if any and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered

सं./No: सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 407/1A/6R
दिनांक/Date : 04TH Dec 2012
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


(डॉ.के.तमिलमणि / Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक / Distinguish Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)